'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 30.06.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 15 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 30 जून, 2018

परिसंघ का क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न

2 अप्रैल को भारत बंद आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी

सी.एल. मौर्य
नई दिल्ली, 17 जून, 2018.

डॉ. उदित राज जी व अन्य तथागत बुध्द व डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित करते हुए

आज मावलंकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का क्षेत्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रातः 10 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और 12 बजे तक मावलंकर हॉल खचाखच भर गया। सीटिंग कम पड़ गयी तो कुछ लोग खड़े होकर तो कुछ फर्श पर बैठकर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लिए। सम्मेलन में 2 अप्रैल को भारत बंद आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी। डॉ. उदित राज ने कहा कि इस आंदोलन में 10 में 8 लोग जो शहीद हुए हैं, वे पुलिस द्वारा नहीं बल्कि सवर्णों के द्वारा मारे गए हैं। आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, जहां इस प्रकार की घटना हुई हो। जब जाट एवं पटेल आंदोलन करते थे तो क्या दलित उनको लाठी लेकर मारता था। यहां यह बात सामने आई कि इन दलितों की आंदोलन करने की औकात कैसे हो गयी? जिन दस लोगों को इस आंदोलन में मारा गया है उन्हें न्याय दिलाने के लिए परिसंघ प्रयासरत् हैं।

लगभग 20 साल पहले परिसंघ अस्तित्व में आया। तब से लेकर अभी तक यह एक गैरराजनैतिक संगठन रहा है और हमेशा रहेगा। इस संगठन की मुख्य ताकत कर्मचारी–अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। परिसंघ की स्थापना डॉ उदित राज के नेतृत्व में सन 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेशों को निरस्त कराने के लिए हुई थी। इनके लगातार संघर्ष के कारण 81वाँ, 82वाँ एवं 85वाँ संवैधानिक संशोधन हुआ। उसके बाद से देश के दलितों की अपेक्षाएं इस संगठन में बनी रहीं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने नागराज के मामले में पैरवी करके 85वें संवैधानिक संशोधन को बचाया जिसका सम्बन्ध पदोन्नति में आरक्षण से था। 4 नवम्बर 2001 को डॉ. उदित राज ने जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए लाखों लोगों को बौध्द धर्म की दीक्षा दिलाई।

सम्मेलन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को सूचित किया गया कि कर्नाटक सरकार के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में केंद्र को भेजे गए अध्यादेश की संस्तुति भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद पूर्ण हो गयी। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद। डॉ.

शेष पृष्ठ 4 पर

भारत सरकार में सचिव के लगभग 94 पदों पर केवल 1 एससी एवं संयुक्तसचिव के 341 पदों में केवल 17 एससी

7 जून, 2018, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने कहा कि ''सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का रास्ता स्पष्ट कर दिया है। समस्त दलित आदिवासी इसके लिए माननीय न्यायाधीशों के द्वारा दिए गये न्याय के लिए धन्यवाद करते हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि समय–समय पर तमाम तरह के हमले दलित आदिवासी के ऊपर होते रहते हैं। यह सर्वविदित है कि आये दिन दलितों के ऊपर अत्याचार होते ही रहते हैं। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को बेहद कमजोर कर दिया गया है, इसके पहले विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में रोस्टर प्वाइंट बदल दिया, जिससे विद्यालय इकाई न होकर के विभाग को इकाई मान कर आरक्षण दिया जाएगा। इससे दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग की भर्ती न के बराबर हो जाएगी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने नागराज के मामले में पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता प्रशस्त किया फिर भी तमाम हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की छोटी पीठ ने अड़चने खड़ी कर दी। इन सारी समस्याओं को लेकर डॉ. उदित राज ने प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि संसद में ऐसा कानून बनाया जाए जिससे ये सब अड़चने समाप्त की जा सकें।

डॉ. उदित राज ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तक आरक्षण लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बन सका है। यूपीए सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण वापिस कर लिया था कि इसको दुरुस्त करके पास कराया जायेगा। दुर्भाग्य से वह दिन कभी नहीं आया। पशु–पक्षियों की रक्षा आदि छोटे–छोटे मामलों पर कानून बने हुए हैं लेकिन आरक्षण लागू करने के लिए संसद में कोई कानून नहीं बन सका है। समय–समय पर सरकारी आदेशों से आरक्षण लागू किया जाता रहता है और इसकी वजह से तमाम सारी विसंगतियां पैदा हो रही हैं और लागू करने में मुश्किलें आती रहती हैं। समय–समय पर मंत्रालय में जूनियर स्तर के अधिकारी आदेश जारी करते रहते हैं इन अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इस पर एक कानून बनाया जाना चाहिए।

डॉ. उदित राज ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के संघर्ष की वजह से वाजपेई जी की सरकार ने 3 संवैधानिक संशोधन 81वां, 82वां, 85वां किये थे। दुर्भाग्य से 85वां संवैधानिक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गयी जिस पर 5 जजों की पीठ ने नागराज के नाम के केस में फैसला दिया और फैसले में 3 शर्ते लगायीं जो कि बिलकुल उचित नहीं हैं

1. फैसले में कहा गया कि दलित–आदिवासी को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उनके पिछड़ेपन की जांच की जानी चाहिए। संविधान की धारा 341 और 342 में जनजातियों को रखा गया है क्योंकि यह पिछड़े हैं, इन धाराओं में उन्ही जातियों को रखा जाता है जो पिछड़ी हैं, सरकारी नौकरी लेते समय भी यही आधार होता है तो पदोन्नति में आरक्षण पर आधार कैसे बदल सकता है? सीधे भर्ती हो या पदोन्नति में भर्ती हो आधार तो एक ही रहेगा। यह वैसा ही सच है जैसे दिन को दिन कहना है कि ये जातियां हर जगह से

शेष पृष्ठ 6 पर

केंद्र सरकार में सचिव/ अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

	कुल	सामान्य	अजा	जजा
सचिव	94	90	1	3
अतिरिक्त सचिव	107	101	3	3
संयुक्त सचिव	341	315	17	9

मंदिर में नारियल क्यों फोड़ा जाता है?

मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज मौर्य वंश के बौद्ध सम्राट राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या उसी के सेनापति ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से की थी और खुद को मगध का राजा घोषित कर लिया था। उसने राजा बनने पर पाटलिपुत्र से श्यालकोट तक सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करवा दिया था।

नारियल

तथा अनेक बौद्ध भिक्षुओ का कत्लेआम किया था। पुष्यमित्र शुंग, बौद्धों पर बहुत अत्याचार करता था और ताकत के बल पर उनसे ब्राह्मणों द्वारा रचित मनुस्मृति अनुसार वर्ण (हिन्दू) धर्म कबूल करवाता था। इसके बाद ब्राह्मण ''पुष्यमित्र शुंग ने अपने समर्थको के साथ मिलकर पाटलिपुत्र और श्यालकोट के मध्य क्षेत्र पर अधिकार किया और अपनी राजधानी साकेत को बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। अयोध्या अर्थात-बिना युद्ध के बनायीं गयी राजधानी'

''राजधानी बनाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति, भगवाधारी बौद्ध भिक्षु का सर(सिर) काट कर लायेगा, उसे 100 सोने की मुद्राएँ इनाम में दी जायेंगी।'' इस तरह सोने के सिक्कों के लालच में पूरे देश में बौद्ध भिक्षुओ का कत्लेआम हुआ। राजधानी में बौद्ध भिक्षुओ के सर आने लगे।

इसके बाद कुछ चालक व्यक्ति अपने लाये सर को चुरा लेते थे और उसी सर को दुबारा राजा को दिखाकर स्वर्ण मुद्राए ले लेते थे। राजा को पता चला कि लोग ऐसा धोखा भी कर रहे है तो राजा ने एक बड़ा पत्थर रखवाया और राजा, बौद्ध भिक्षु का सर देखकर उस पत्थर पर मरवाकर उसका चेहरा बिगाड़ देता था'। इसके बाद बौद्ध भिक्षु के सर को घाघरा नदी में फेंकवा देता था'। राजधानी अयोध्या में बौद्ध भिक्षुओ के इतने सर आ गये कि कटे हुये सरों से युक्त नदी का नाम सरयुक्त अर्थात ''सरयू'' हो गया। इसी ''सरयू'' नदी के तट पर पुष्यमित्र शुंग के राजकवि वाल्मीकि ने ''रामायण'' लिखी थी। जिसमें राम के रूप में पुष्यमित्र शुंग और रावण के रूप में मौर्य सम्राट का वर्णन करते हुए उसकी राजधानी अयोध्या का गुणगान किया था और राजा से बहुत अधिक पुरुष्कार पाया था।

इतना ही नहीं, रामायण, महाभारत, स्मृतियां आदि बहुत से काल्पनिक ब्राह्मण धर्मग्रन्थों की रचना भी पुष्यमित्र शुंग की इसी अयोध्या में ''सरयू'' नदी के किनारे हुई। बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम के कारण सारे बौद्ध विहार खाली हो गए। तब आर्य ब्राह्मणों ने सोचा कि इन बौद्ध विहारों का क्या करे की आने वाली पीढ़ियों को कभी पता ही नही लगे कि बीते वर्षो में यह क्या थे?' तब उन्होंने इन सब बौद्ध विहारों को मन्दिरों में बदल दिया और इसमे अपने पूर्वजों व काल्पनिक पात्रों को भगवान बनाकर स्थापित कर दिया और पूजा के नाम पर यह दुकानें खोल दी। ध्यान रहे उक्त ब्रह्दथ मौर्य की हत्या से पूर्व भारत में मन्दिर शब्द ही नहीं था ना ही इस तरह की संस्क्रति थी। वर्तमान में ब्राह्मण धर्म में पत्थर पर मारकर नारियल फोड़ने की परंपरा है ये परम्परा पुष्यमित्र शुंग के बौद्ध भिक्षु के सर को पत्थर पर मारने का प्रतीक है।

पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी "सच्ची रामायण'' पुस्तक लिखी जिसका इलाहबाद हाई कोर्ट केस नम्बर 412/1970 में वर्ष 1970-1971 व सुप्रीम कोर्ट 1971 -1976 के बीच में केस अपील नम्बर 291/1971 चला।

''जिसमें सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस पी एन भगवती जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस मुतजा फाजिल अली ने दिनाक 16/9/1976 को निर्णय दिया ! की सच्ची रामायण पुस्तक सही है और इसके सारे तथ्य वेध है'। ''सच्ची रामायण पुस्तक यह सिद्ध करती है! कि ''रामायण नामक देश में जितने भी ग्रन्थ है वे सभी काल्पनिक है और इनका पुरातातविक कोई आधार नही है'। अथार्त् फर्जी है।

जागरूकता अभियान

***

बचपन में ही पड़ते हैं घृणा के बीज

हमें जो बनना होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा बहुत कम उम्र में बन चुका होता है, जबकि हमें पता भी नहीं होता है कि हम कुछ बन रहे हैं।

दिलीप मंडल

चलने-बोलने के साथ ही हम जातिवाद और सांप्रदायिकता भी सीख जाते हैं। कर्नाटक में एक आदमी से कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए उसे किसी को मारना है। वह आदमी बताई गई औरत को मार आता है, बगैर यह जाने कि उस औरत की वजह से उसका धर्म खतरे में कैसे आ गया। किसी गांव के मंदिर से घोषणा होती है कि गांव के एक आदमी के फ्रिज में एक पवित्र पशु का मांस है। गांव के सैकड़ों लोग, जो बरसों से उस आदमी के पड़ोसी थे, उसके घर पर हमला करके उसे मार देते हैं और यह जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वह मांस किस जानवर का है।

एक आदमी अपनी संतान की हत्या कर देता है क्योंकि उसे लगता है, यह एक मजहबी कर्तव्य है। उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। उत्तराखंड में एक सरकारी स्कूल में छह से दस साल की उम्र के बच्चे मिड डे मील का खाना नहीं खाते क्योंकि खाना एक दलित महिला बनाती है। एक के बाद एक, कई राज्यों में कुछ लोग एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। उन्हें लगता है, घोड़ी पर चढ़ने का हक कुछ खास जातियों के लोगों को ही है। हर दिन घटने वाली ऐसी और भी घटनाओं को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, वे असामान्य हरकत करते नजर आ सकते हैं, लेकिन उनका बाकी जीवन सामान्य है। वे पागल नहीं हैं। वे नौकरीपेशा, बिजनेसमैन या किसान हो सकते हैं। वे किसी खास मौके पर हत्या कर सकते हैं, अन्यथा वे अपनी पत्नी और बच्चे को प्यार करने वाले सामान्य लोग हैं। ऐसे सामान्य लोगों की असामान्य नजर आने वाली हरकतों को कैसे समझा जाए। एक आदमी यह क्यों सोचता है कि उसका धर्म खतरे में है और धर्म को बचाने के लिए हत्या करना न सिर्फ उचित है, बल्कि पुण्य का काम हैं भीड़ यह क्यों सोचती है कि कोई पशु पवित्र है लेकिन उसे एक खास धर्म के लोग मार सकते हैं और ऐसा करने वाले को मार डालना उचित होगा? अपने संतान की हत्या करके किसी पारलौकिक शक्ति को खुश करने की ट्रेनिंग एक बाप को कहां से मिलती है? एक बच्चा यह कहां से सीखता है कि समाज में कोई दलित भी होता है, जिसका छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए? जातिवाद की ट्रेनिंग सिर्फ छह साल की उम्र में उसे कौन देता है? घोड़ी पर चढ़ने को जाति से जोड़कर देखना हमें कौन सिखाता है।

इनमें से ज्यादातर धारणाएं हम बचपन में सीख चुके होते हैं। दरअसल हमें जो बनना होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा बहुत कम उम्र में बन चुका होता है, जबकि हमें पता भी नहीं होता है कि हम कुछ बन रहे हैं। विचारों और विचारधाराओं का एक बड़ा हिस्सा जीवन में तभी आ चुका होता है, जब हम चलना और बोलना सीख रहे होते हैं। दिमाग में जम चुकी ये चीजें आम तौर पर जीवन भर हमारे साथ चलती हैं और बहुत कम मामलों में ही उनसे मुक्ति मिलती है। हमें लगता ही नहीं है कि उन बातों में कुछ भी असामान्य या गलत है। समाजशास्त्री इसे प्राथमिक समाजीकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। समाजीकरण वह चीज है जिसके जरिए हम समाज के सदस्य के तौर पर जीना सीखते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कोई सिखाया हुआ काम कर रहे हैं। यह एक ऑटोमैटिक यानी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे हमें अगर बचपन में सिखाया गया कि किसी बुजुर्ग के सामने आने पर उसे प्रणाम करना है, तो हम बड़े होकर बुजुर्गों को प्रणाम करने लगते हैं। अगर हमें सिखाया गया है कि मुंह खोलकर नहीं खाना चाहिए तो हम मुंह खोलकर नहीं खाएंगे। अगर हमें ट्रेनिंग मिली है कि जूते पहनकर बिस्तर पर नहीं चढ़ना चाहिए तो हम जूते पहनकर बिस्तर पर नहीं चढ़ेंगे। समाज में रहने के नियम, मान्यताएं और शिष्टाचार हम ऐसे ही सीखते हैं। जो बात आदतों या व्यवहार के बारे में सच है, वही विचारधारा या राजनीतिक चिंतन पर भी लागू होता है। इनकी ट्रेनिंग भी ऐसे ही मिलती।

मिसाल के तौर पर, दादी-नानी की कहानियों में और स्कूल में गाय पर निबंध लिखते समय अगर हमें सिखाया गया है कि गाय एक पवित्र पशु है और अगर हमें मोहल्ले के अंकल ने या परिवार के लोगों ने बचपन में सिखाया है कि एक खास धर्म के लोग गाय मारते हैं तो ऐसी बचपन की ट्रेनिंग पाए लोगों के लिए दादरी के गांव में एक आदमी के फ्रिज में खास तरह का मांस होने की बात सुनकर उसे मारने दौड़ पड़ना स्वाभाविक है। अगर कर्नाटक में हिंदुओं के एक तबके के बच्चों को बचपन से सिखाया गया है कि उनका धर्म महान है और इस पर लगातार बाहर और अंदर से हमले हो रहे हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना पड़े या मर जाना पड़े तो यह पुण्य का काम है, तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर एक लिंगायत महिला की हत्या आसानी से कर देगा। क्योंकि उसे बताया गया है कि लिंगायत लोग अलग धर्म की मांग करके हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं।

अगर किसी को बचपन से सिखाया गया है कि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, कुर्बानी सबसे प्रिय चीज की होनी चाहिए, और सबसे प्रिय चीज अपनी संतान है, तो वह आदमी अपनी संतान को कुर्बान कर सकता है। क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि वह कोई गलत काम कर रहा है या कुर्बानी का कोई और मतलब भी हो सकता है। क्या हम अपने प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी बचपन की ट्रेनिंग को लोकतांत्रिक और मानवीय बना सकते हैं? ऐसा किए बगैर बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बन पाना और बना पाना संभव नहीं है।

– दैनिक नवभारत से सभार

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

कबीर जयंती (28 जून, 2018) पर विशेष

कबीरदास : जीवन परिचय

प्रमोद कुमार

कबीर सन्त कवि और समाज सुधारक थे। ये सिकन्दर लोदी के समकालीन थे। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। कबीरदास भारत के भक्ति काव्य परंपरा के महानतम कवियों में से एक थे। भारत में धर्म, भाषा या संस्कृति किसी की भी चर्चा बिना कबीर की चर्चा के अधूरी ही रहेगी। कबीरपंथी, एक धार्मिक समुदाय जो कबीर के सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपने जीवन शैली का आधार मानते हैं।

जीवन

काशी के इस अक्खड़, निडर एवं संत कवि का जन्म लहरतारा के पास सन् 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ। जुलाहा परिवार में पालन पोषण हुआ, संत रामानंद के शिष्य बने और अलख जगाने लगे। कबीर सधुक्कड़ी भाषा में किसी भी सम्प्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किये बिना खरी बात कहते थे। कबीर ने हिंदू-मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टरपंथ का खुलकर विरोध किया।

कबीर की वाणी उनके मुखर उपदेश उनकी साखी, रमैनी, बीजक, बावन-अक्षरी, उलटबासी में देखें जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनके 200 पद और 250 साखियां हैं। काशी में प्रचलित मान्यता है कि जो यहां मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। रूढ़ि के विरोधी कबीर को यह कैसे मान्य होता। काशी छोड़ मगहर चले गये और सन् 1518 के आस पास वहीं देह त्याग किया। मगहर में कबीर की समाधि है जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों पूजते हैं।

मतभेद भरा जीवन

हिंदी साहित्य में कबीर का व्यक्तित्व अनुपम है। कबीर की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किंवदन्तियाँ हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे जगद्गुरु रामानन्द स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आयी। उसे नीरु नाम का जुलाहा अपने घर ले आया। उसी ने उसका पालन-पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कतिपय कबीर पन्थियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किसी योगी के औरस तथा प्रतीति नामक देवाङ्गना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही संवत् 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को कबीर के रूप में प्रकट हुए थे।

कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानन्द के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुईं। एक दिन, एक पहर रात रहते ही कबीर पञ्चगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानन्द जी गंगास्नान करने के लिये सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल 'राम-राम' शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा-मन्त्र मान लिया और रामानन्द जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया।

कबीर के ही शब्दों में- 'हम कासी में प्रकट भये हैं, रामानन्द चेताये'।

अन्य जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू-मुसलमान का भेद मिटा कर हिंदू-भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को हृदयंगम कर लिया। जनश्रुति के अनुसार उन्हें एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली थी। इतने लोगों की परवरिश करने के लिये उन्हें अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था। 119 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मगहर में देह त्याग किया।

धर्म के प्रति

साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे- 'मसि कागद छूवो नहीं, कलम गही नहिं हाथ।' उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से भाखे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आप के समस्त विचारों में रामनाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्त्ति, रोज़ा, ईद, मसजिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे।

कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न-भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न-भिन्न है। एच.एच. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर आठ ग्रंथ हैं। विशप जी.एच. वेस्टकॉट ने कबीर के 84 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की तो रामदास गौड़ ने 'हिंदुत्व' में 71 पुस्तकें गिनायी हैं।

वाणी संग्रह

कबीर की वाणी का संग्रह 'बीजक' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं- रमैनी, सबद और साखी यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूरबी, ब्रजभाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं।

वे कभी कहते हैं-

'हरिमोर पिउ, मैं राम की बहुरिया' तो कभी कहते हैं, 'हरि जननी मैं बालक तोरा'।

और कभी 'बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसै'

उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से

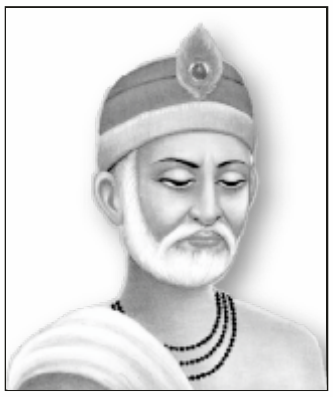

सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गयी। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुँच सके। इससे दोनों सम्प्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके पंथ मुसलमान-संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है।

वृद्धावस्था में यश और कीर्त्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्मपरीक्षण करने के लिये देश के विभिन्न भागों की यात्राएँ कीं इसी क्रम में वे कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुँचे। वहाँ रामकृष्ण का छोटा सा मन्दिर था। वहाँ के संत भगवान गोस्वामी के जिज्ञासु साधक थे किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार-विनिमय हुआ। कबीर की एक साखी ने उन के मन पर गहरा असर किया-

'बन ते भागा बिहरे पड़ा, करहा अपनी बान। करहा बेदन कासों कहे, को करहा को जान।।'

वन से भाग कर बहेलिये के द्वारा खोये हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किस से कहे ? सारांश यह कि धर्म की जिज्ञासा सें प्रेरित हो कर भगवान गोसाई अपना घर छोड़ कर बाहर तो निकल आये और हरिव्यासी सम्प्रदाय के गड्ढे में गिर कर अकेले निर्वासित हो कर असंवाद्य स्थिति में पड़ चुके हैं।

मूर्त्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर कर दी-

पाहन पूजे हरि मिलैं, तो मैं पूजौं पहार। वा ते तो चाकी भली, पीसी खाय संसार।।

कबीर के राम

कबीर के राम तो अगम हैं और संसार के कण-कण में विराजते हैं। कबीर के राम इस्लाम के एकेश्वरवादी, एकसत्तावादी खुदा भी नहीं हैं। इस्लाम में खुदा या अल्लाह को समस्त जगत एवं जीवों से भिन्न एवं परम समर्थ माना जाता है। पर कबीर के राम परम समर्थ भले हों, लेकिन समस्त जीवों और जगत से भिन्न तो कदापि नहीं हैं। बल्कि इसके विपरीत वे तो सबमें व्याप्त रहने वाले रमता राम हैं। वह कहते हैं

व्यापक ब्रह्म सबनिमैं एकै, को पंडित को जोगी। रावण-राव कवनसूं कवन वेद को रोगी।

कबीर राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढाँचे (फ्रेम) में बँध जाते, जो कबीर को किसी भी हालत में मंजूर नहीं। कबीर राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप देना चाहते थे। इसके कुछ विशेष कारण थे, जिनकी चर्चा हम इस लेख में आगे करेंगे। किन्तु इसके बावजूद कबीर राम के साथ एक व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध जरूर स्थापित करते हैं। राम के साथ उनका प्रेम उनकी अलौकिक और महिमाशाली सत्ता को एक क्षण भी भुलाए बगैर सहज प्रेमपरक मानवीय संबंधों के धरातल पर प्रतिष्ठित है।

कबीर नाम में विश्वास रखते हैं, रूप में नहीं। हालाँकि भक्ति-संवेदना के सिद्धांतों में यह बात सामान्य रूप से प्रतिष्ठित है कि 'नाम रूप से बढ़कर है', लेकिन कबीर ने इस सामान्य सिद्धांत का क्रांतिधर्मी उपयोग किया। कबीर ने राम-नाम के साथ लोकमानस में शताब्दियों से रचे-बसे संश्लिष्ट भावों को उदात्त एवं व्यापक स्वरूप देकर उसे पुराण-प्रतिपादित ब्राह्मणवादी विचारधारा के खाँचे में बाँधे जाने से रोकने की कोशिश की।

कबीर के राम निर्गुण-सगुण के भेद से परे हैं। दरअसल उन्होंने अपने राम को शास्त्र-प्रतिपादित अवतारी, सगुण, वर्चस्वशील वर्णाश्रम व्यवस्था के संरक्षक राम से अलग करने के लिए ही 'निर्गुण राम' शब्द का प्रयोग किया। 'निर्गुण राम जपहु रे भाई।' इस 'निर्गुण' शब्द को लेकर भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। कबीर का आशय इस शब्द से सिर्फ इतना है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में बाँधा नहीं जा सकता। जो सारी सीमाओं से परे हैं और फिर भी सर्वत्र हैं, वही कबीर के निर्गुण राम हैं। इसे उन्होंने 'रमता राम' नाम दिया है। अपने राम को निर्गुण विशेषण देने के बावजूद कबीर उनके साथ मानवीय प्रेम संबंधों की तरह के रिश्ते की बात करते हैं। कभी वह राम को माधुर्य भाव से अपना प्रेमी या पति मान लेते हैं तो कभी दास्य भाव से स्वामी। कभी-कभी वह राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में माँ मान लेते हैं और खुद को उनका पुत्र। निर्गुण-निराकार ब्रह्म के साथ भी इस तरह का सरस, सहज, मानवीय प्रेम कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। यह दुविधा और समस्या दूसरों को भले हो सकती है कि जिस राम के साथ कबीर इतने अनन्य, मानवीय संबंधपरक प्रेम करते हों, वह भला निर्गुण कैसे हो सकते हैं, पर खुद कबीर के लिए यह समस्या नहीं है।

वह कहते भी हैं

''संतौ, धोखा कासूं कहिये। गुनमैं निरगुन, निरगुनमैं गुन, बाट छांड़ि क्यूं बहिसे!'' नहीं है।

प्रोफ़ेसर महावीर सरन जैन ने कबीर के राम एवं कबीर की साधना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है : 'कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना ''मानने से नहीं, ''जानने से आरम्भ होती है। वे किसी के शिष्य नहीं, रामानन्द द्वारा चेताये हुए चेला हैं। उनके लिए राम रूप नहीं है, दशरथी राम नहीं है, उनके राम तो नाम साधना के प्रतीक हैं। उनके राम किसी सम्प्रदाय, जाति या देश की सीमाओं में कैद नहीं है। प्रकृति के कण-कण में, अंग-अंग में रमण करने पर भी जिसे अनंग स्पर्श नहीं कर सकता, वे अलख, अविनाशी, परम तत्व ही राम हैं। उनके राम मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भेद-भाव के कारक नहीं हैं। वे तो प्रेम तत्व के प्रतीक हैं। भाव से ऊपर उठकर महाभाव या प्रेम के आराध्य हैं :-

'प्रेम जगावै विरह को, विरह जगावै पीउ, पीउ जगावै जीव को, जोइ पीउ सोई जीउ' - जो पीउ है, वही जीव है। इसी कारण उनकी पूरी साधना ''हंस उबारन आए की साधना है। इस हंस का उबारना पोथियों के पढ़ने से नहीं हो सकता, ढाई आखर प्रेम के आचरण से ही हो सकता है। धर्म ओढ़ने की चीज नहीं है, जीवन में आचरण करने की सतत सत्य साधना है। उनकी साधना प्रेम से आरम्भ होती है। इतना गहरा प्रेम करो कि वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। उसको पाने की इतनी उत्कण्ठा हो जाए कि सबसे वैराग्य हो जाए, विरह भाव हो जाए तभी उस ध्यान समाधि में पीउ जाग्रत हो सकता है। वही पीउ तुम्हारे अन्तमन में बैठे जीव को जगा सकता है। जोई पीउ है सोई जीउ है। तब तुम पूरे संसार से प्रेम करोगे, तब संसार का प्रत्येक जीव तुम्हारे प्रेम का पात्र बन जाएगा। सारा अहंकार, सारा द्वेष दूर हो जाएगा। फिर महाभाव जगेगा। इसी महाभाव से पूरा संसार पिउ का घर हो जाता है।

सूरज चन्द्र का एक ही उजियारा,
सब यहि पसरा ब्रह्म पसारा।

https://hindi.speakingtree.in/blog/content-471431

***

परिसंघ का क्षेत्रीय ....

पृष्ठ का 1 शेष

उदित राज जी के आग्रह पर कानून मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय ने त्वरित कार्यवाही की जिसके लिए गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद को विशेष रूप से धन्यवाद।

मंच पर डॉ. उदित राज जी के साथ ओम प्रकाश सिंहमार, आर. के. कलसोत्रा, तरसेम सिंह घारु, बी.एस.दीपक

सम्मेलन निम्नलिखित मुद्दों पर आयोजित किया गया था :-

1. 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण को कमजोर करने से संबंधित था, पर चर्चा की गयी।
2. 5 मार्च को यू.जी.सी. का आदेश वापिस हो गया इसकी वजह से विश्वविद्यालयों को इकाई न मानकर विभाग को इकाई मानने की वजह से शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित हुई। लगभग 4 हजार शिक्षक विभिन्न कोलेजों में एडहॉक पर कार्यरत् हैं। अगर 5 मार्च का यूजीसी का प्रपत्र लागू किया जाता है तो लगभग सारे शिक्षक सड़क पर आ जाएंगें।
3. 10 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति सरकार करने जा रही है उसमें दलित आदिवासी एवं पिछड़ों का कोटा लागू किया जाए।
4. 2 अप्रैल को भारत बंद के समय 10 दलितों की हत्या हुई थी जिसमें ज्यादातर दबंग लोगों के द्वारा की गयी थी। हजारों निर्दोषों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए।
5. दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ ही रहे हैं हाल ही में खबर मिली कि मेहसाना, गुजरात में दलितों ने जब तथकथित ठाकुर के जूते की शक्ल का जूता पहना तो दलित को बर्बरता से पीटा गया।
6. भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को रिहा किया जाए।
7. अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की जाए।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज जी ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। ज्यादातर लोग राजनैतिक लोगों को दोषी ठहराते रहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि उदित राज जी समाज की ताक़त लेकर संसद पहुंचे हैं और समाज के लिए कुछ नहीं करते तो यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के सांसद या विधायक से इस तरह की उम्मीद न करें क्योंकि आपने उन्हें सांसद या विधायक नहीं बनाया है, बल्कि वे पार्टियों की कृपा से बने हैं। जब दलित अधिकारों के लिए उनका चुनाव हुआ ही नहीं हैं, तो उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। एक बार सामान्य वर्ग के लोगों से चर्चा हो रही थी तो यह बात सामने आयी कि आप लोग जानबूझकर अपने समाज का सशक्तिकरण नहीं करना चाहते तो मैंने कहा कि जिस पार्टी से मैं हूं, इस हैसियत में नहीं हूं कि एक निगम पार्षद को टिकट दिला सकूं तो मैं अपने समाज का सशक्तिकरण कैसे कर सकता हूं। यदि दलित समाज के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो यदि वह समझदार नहीं है तो दूसरे के चंगुल में फंसकर समाज का भला करने के बजाय नुकसान ही कर बैठेगा। पदोन्नति में आरक्षण उत्तर प्रदेश में उस समय खत्म हुआ जिस समय मायावती जी वहां की मुख्यमंत्री थी। अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को 30 प्र0 में लगभग समाप्त कर दिया गया था 2007 में मायावती जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में। उस समय एक सर्कुलर जारी किया गया था कि यह अधिनियम सिर्फ हत्या और बलात्कार के मामले में ही लागू होगा, बाकी के किसी अपराध में लागू नहीं होगा। उस समय इस अधिनियम में 17 तरह के अपराध शामिल थे जबकि आज 22 तरह के अपराध शामिल हैं। इसके विरुद्ध एडवोकेट प्रदीप वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरी ओर से याचिका दायर की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह केन्द्र सरकार का बनाया हुआ कानून है और राज्य सरकार इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। तब जाकर यह अधिनियम बचा। उन्होंने कहा कि आज सरकारों से ज्यादा न्यायपालिका हमारे अधिकारों पर कुठाराघात कर रहीं हैं। इस कृत्य के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। आए दिन ये आरक्षण विरोधी निर्णय देती रहती हैं। जब तक उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होता हमारे अधिकार बचने वाले नहीं हैं। 2 अप्रैल की जो घटना हुई है उसके लिए न्यायपालिकाएं ही जिम्मेदार हैं। इस देश में जज बनने के लिए कोई मेरिट नहीं है, जबकि ये दूसरों की मेरिट चेक करते रहते हैं।

उन्होंने सोसल मीडिया की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि आज यह सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। आप बिना किसी खर्च के विचारों का आदान-प्रदान तेजी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रानिक चैनल और प्रिंट मीडिया यदि आपकी खबरों को तवज्जों नहीं देते तो आप सोसल मीडिया के माध्यम से घर बैठे किसी भी स्तर तक इसे फैला सकते हैं। उपस्थित सभी लोगों को ट्वीटर और फेसबुक की ट्रेनिंग दी गयी।

इसके अलावा सम्मेलन को विभिन्न प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों, जैसे सत्य प्रकाश जरावता (हरियाणा), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), सुशील कमल एवं नीरज चक (उ.प्र.), तरसेम सिंह घारु एवं रोहित सोनकर (पंजाब), बाबू सिंह एवं विजय राज (उत्तराखंड), विकासदीप (हि.प्र.) आदि के साथ सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डॉ. उदित राज जी के बाए से आर. एस. हंस, वाई के. आंनद एवं दाए से देवी सिंह राणा, सत्यानायारण, रविन्द्र सिंह एवं करण सिंह

सम्मेलन को सफल बनाने में दिल्ली प्रदेश की कोर कमेटी का विशेष योगदान रहा, जिसमें ओम प्रकाश सिंहमार, देवी सिंह राणा, सत्यनारायण, रवीन्द्र कटारिया, महेन्द्र सिंह केम, फकीर चंद कजानिया, मनोज कुमार, मांगेराम, सुधीर कुमार, प्रकाश महला, गजे सिंह, करनचंद, फकीरचंद, दयानंद, सत्य प्रकाश, जगदीश मलिक, आर.एस. हंस, रामनाथ, अशोक, अशोक अहलावत, सतबीर, घीसाराम, सुरेश कुमार सेन, खेमचंद सचिन कुमार, संजीव गौतम आदि प्रमुख थे।

सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा निकट भविष्य में किए जाने वाले सभा व सम्मेलनों की घोषणा की गयी। जिन लोगों ने सभा कराने की घोषणा की उनमें प्रमुख हैं - उत्तर प्रदेश से मंजीत (कानपुर), जय प्रकाश (औरैया), प्रेमजीत (मेरठ), जिया लाल (फैजाबाद), राज कुमार (मुजफ्फर नगर), नरेश राज (हरदोई), राजकुमार गुड्डू (सीतापुर), बी.एस. दीपक (गाजियाबाद), कल्पेन्द्र भारती (मैनपुरी), सोमनाथ सरोज (इलाहाबाद), महाबीर (बिजनौर), रमेन्द्र चन्द्रा (बुलंदशहर), केदारनाथ (मुरादाबाद), राजकुमार (बरेली), अनिल (इटावा), हरियाणा से विश्वनाथ (फरीदाबाद), रामफल (पलवल), महासिंह भूरानियां एवं वजीर सिंह मेहरा (जींद), राजेन्द्र प्रसाद एवं रवि महेन्द्रा (रोहतक), नेता कंवर सिंह (नारनौल), सत्यवान भाटिया (सोनीपत), शशिकांत एवं बिजली सिंह (पानीपत), रामपाल (कुरुक्षेत्र), राजकुमार (कैथल), अर्जुन देव (हिसार), पंजाब से तरसेम सिंह (जलंधर), वी.के. बौद्ध (लुधियाना), गुरुप्रीत सिंह (पटियाला), जम्मू व कश्मीर से आर. के. कलसोत्रा (श्रीनगर), मो. अली ज़िन्हा (कारगिल), हि.प्र. से विजय (कांगड़ा), विकास दीप (शिमला), उत्तराखंड से बाबू सिंह (देहरादून), मोदीमल तेगवाल एवं मेहर सिंह (हरिद्वार), आर.के. भारती (उधम सिंह नगर), महावीर (डाक पत्थर), विक्रम सिंह (टिहरी गढ़वाल), बी.एस. टम्टा (पौड़ी गढ़वाल) आदि।

अंत में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था थी, जिसके बाद सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

2 अप्रैल, 2018 को दलित संगठनों द्वारा "भारत बंद आंदोलन" के शहीदों को श्रद्धांजलि

अंकुर जाटव (मेरठ,उत्तर प्रदेश) | विमल रजोरिया (डबरा, मध्य प्रदेश) | दशरथ जाटव (भिंड, मध्य प्रदेश) | आकाश जाटव (भिंड, मध्य प्रदेश) | प्रदीप गर्ग (भिंड, मध्य प्रदेश) | राकेश टमोटिया (ग्वालियर, मध्य प्रदेश) | दीपक जाटव (ग्वालियर, मध्य प्रदेश) | पवन (झाडोली, राजस्थान) | उमेश कुमार (मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश)

गुलामों से भी बदतर होने जा रही है दलितों की स्थिति!

एच.एल. दुसाद

क्या आज की तारीख में कोई यकीन करेगा कि 21वीं सदी में उन्नततर अवस्था में पहुंची सभ्यता के दौर में भारत के दलितों (अस्पृश्यों) की स्थिति प्राचीन रोम और अमेरिका के गुलामों से बदतर होने जा रही है! अवश्य ही कोई जल्दी यकीन नहीं करेगा। किन्तु जिन्हें दलितों की वर्तमान पीढ़ी और दास-प्रथा के गुलामों की स्थिति की सही जानकारी है, वे सहजता से इनकार नही सकते! बहरहाल जिन्हें दास-प्रथा के गुलामों के स्थिति की सही जानकारी नहीं, वे इस विषय में (गुलाम-प्रथा और अस्पृश्यता) पर डॉ. आंबेडकर के अध्ययन, जो बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वांग्मय, खंड -9 के पृष्ठ 26-38 तक लिपिबद्ध है, से लाभ उठा सकते हैं। (स्लेवरी इन रोमन एम्पायर) पुस्तक के जरिये प्राचीन रोम साम्राज्य के गुलामों की स्थिति की जानकारी देते हुए डॉ. आंबेडकर बताते हैं। निस्संदेह गुलाम भारी संख्या में होते थे, और ये प्रायः रोम में पाए जाते थे। इटली और अन्य प्रान्तों में दिखाने के लिए इनकी आवश्यकता घरों में कम थी। इनके गुलाम भारी संख्या में काम करने और इससे जुड़े उत्पादकता में लगाये जाते थे। वहां इन गुलामों के बीच आपसी सम्बन्ध ठेकेदारों और मजदूरों के बीच जैसा होता था, उनमें से एक मुखिया होता था, बाकी उसके अधीन काम करते थे। आमीर लोग कुछ तो दिखावे के लिए और कुछ साहित्यिक रूचि के कारण अपने-अपने घरों में ऐसे गुलाम रखते थे, जो साहित्य और कला में दक्ष होते थे। समाज को कुछ वर्गो द्वारा नर्तकों, गायकों, संगीतकारों, खेलकूद प्रशिक्षकों आदि की मांग हुई गुलामों में इस कोटि के लोग भी हुए।

आगस्ट के समय में वाणिज्य और उद्योगों का विस्तार हुआ। चूँकि व्यापारिक गतिविधियां और अधिक बड़े पैमाने पर होने लगीं और दलालों का महत्व और अधिक बढ़ गया तो भी ये दलाल वही होते थे जो गुलाम थे। मालिक किसी भी गुलाम को अपने बैंक या जहाज के उपयोग की इजाजत दे सकता था लेकिन शर्त यह होती थी कि वह इसके बदले निश्चित राशि या कमीशन देगा। गुलाम अपनी अतिरिक्त आय को अपने मालिक के कारोबार में या उससे भिन्न कसी दूसरे कारोबार में फिर से लगा देते। वह अपने मालिक के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखते और मालिक उन्हें बराबर का हिस्सेदार मान लेते या वे किसी के साथ करार करते। वह अपनी संपत्ति अथवा अपने कारोबार के इंतजाम के लिए मुख्तार भी रख लेते और इस प्रकार उनकी संपत्ति में केवल भूमि, भवन, दुकानें ही नहीं होती थीं, बल्कि अधिकार-पत्र और दावे भी होते थे। व्यापार में लगे गुलामों के अनगिनत कारोबार होते। उनमें से बहुत से दुकानदार होते जो खाने की तरह-तरह की सामग्री बेचते जैसे रोटी, मांस, नमक, मछली, शराब, सब्जियां, फल, शहद, दही, बत्तखें और ताजा मछलियां। कुछ गुलाम कपडे, चप्पलें, जूतें, गाउन आदि बेचते। रोम में सर्कस मामीमस या पोर्तिकस ट्रिगमिमस या इस्क्विलाइन माकिज्ट या द ग्रेट मार्ट या सुबर्रा नामक स्थानों पर इनकी दुकानें थीं।

आश्चर्यजनक तो यह है कि राज्य में इन गुलामों से बड़े-बड़े काम लिए जाते थे और यह कि इन्हें समाज में विशेष पद प्राप्त थे। किसी साम्राज्य के लिए ''राज्य का गुलाम'' शब्द का अर्थ होने लगा कि वह गुलाम राज्य में शासन के विभिन्न पदों में से किसी पद पर नियुक्त है, उसका एक निश्चित कर्तव्य है तथा समाज में प्रायः उसकी एक प्रतिष्ठा है। राज्य के गुलाम, नगर के गुलाम और सीजर के गुलाम से क्रमशः ऐसे कर्मचारियों का बोध होने लगा, जैसे कि आजकल सिविल सेवाओं के उच्च और समस्त अवर पद या नगर निगम में कार्यरत कार्मिक से होते है। (कोषागार के) अधीनस्थ अनेक लिपिक और वित्तीय अधिकारी काम करते थे। इनमें सभी मुक्त गुलाम होते थे। ये लोग जो व्यवसाय करते, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता जैसे टकसाल।

बहरहाल प्राचीन रोम के बाद आधुनिक अमेरिका में दासों की क्या स्थिति थी, इस पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया है कि दास-प्रथा में नीग्रो वर्ग में बढ़ई, नाई, बोटकोर्कर, जीनसाज, चर्खा कातने वाले, मिलराईट, होल्स्टर, जुलाहे, करघा बनाने वाले, आरा मशीन चलाने वाले, स्टीम बोट पायलट होते थे। कताई और बुनाई में प्रवीण नीग्रो लड़कियां श्वेत महिलाओं के साथ ससम्मान कार्य करती थीं। उनकी चिकित्सा, व्यवसाय इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति से कई बार गोरे शासक वर्ग के लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ जाता था, जिससे निजात पाने के लिए वे राज्य के समक्ष अपील करते। कई उच्च शिक्षित नीग्रो आला दर्जे के प्राइवेट स्कूल चलाते थे, जिनसे निकले कई छात्र बाद में देश भर नाम कमाए। प्राचीन रोम और आधुनिक अमेरिका में गुलामों की स्थिति का वर्णन करने के बाद डॉ. आंबेडकर निष्कर्ष देते हुए कहते हैं-''क्या भारत में अस्पृश्यों की स्थिति में कहीं कोई ऐसी बात है, जिसका रोमन गुलामों और नीग्रों गुलामों कि स्थिति से तुलना की जा सके? अगर हम रोमन और नीग्रो की स्थिति से तुलना करने के लिए समान युग का चयन करें तो यह अनुचित नहीं होगा। लेकिन मैं आज के अस्पृश्यों की तुलना गुलामों की उस दशा से करना अनुचित नहीं समझाता, जो रोमन साम्राज्य में उनकी थी। यह तुलना ऐसी होगी कि हम बदतर स्थिति की तुलना किसी श्रेष्ठ स्थिति से कर रहे हैं, क्योंकि अस्पृश्यों के सम्बन्ध में उनकी आज की स्थिति स्वर्णिम समझी जाती है। आज के अस्पृश्यों की वास्तविक स्थिति गुलामों की वास्तविक स्थिति से कितनी भिन्न है? आज कितनी संख्या में अस्पृश्य लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर आदि जैसे व्यवसायों में लगे हुए हैं, जितने कि इन व्यवसायों में रोम गुलाम नियुक्त थे? आज कितने अस्पृश्य वाक्पटु, भाषाविज्ञानी, दार्शनिक, अध्यापक, डॉक्टर और कलाकार हैं और बौद्धिक कार्यकलाप करते हैं, जैसा कि रोम में गुलाम किया करते थे। क्या रोम के गुलामों की तरह भारतीय अस्पृश्यों से काम कराये जाते हैं, क्या कोई हिन्दू ऐसी हिम्मत रखता है कि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ कह दे?

गुलामी से अस्पृश्यता को बदतर घोषित करने वाले डॉ. आंबेडकर ने गुलामों और अस्पृश्यों का उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रस्तुत किया था। बहरहाल प्राचीन रोम के जिन गुलामों से तुलना करते हुए उन्होंने अस्पृश्यों की स्थिति बदतर बताया था, रोम के वे गुलाम तत्कालीन पैट्रिशियन, प्लेबियंस , नाइट्स इत्यादि की भांति ही इतिहास के पन्नों की शोभा मात्र बनकर रह गए है। रोम के वे गुलाम परवतीकजल में मालिक की श्रेणी में तब्दील हो गए। किन्तु अमेरिका की दास-प्रथा के गुलामों की वर्तमान पीढ़ी को आज भी देखा जा सकता। पर अमेरिकी सरकार की नीतियों और वहां के प्रभुवर्ग के सामाजिक विवेक के सौजन्य से उनमें आमूल बदलाव आ गया है। दास-प्रथा के नीग्रो वर्गकी वर्तमान संतानें बढई, नाई, बोटकोर्कर, जीनसाज, चर्खा कातने वाले, मिलराईट, होल्स्टर, जुलाहे, करघा बनाने वाले, आरा मशीन चलाने वाले, स्टीम बोट पायलट से आगे बढ़ते हुए अब समस्त क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उनमें से भारी संख्या लोग सप्लायर,डीलर, ठेकेदार, मैनुफैक्चरर्स इत्यादि बनकर उद्योग-व्यापर के क्षेत्र में नया अध्याय रच रहे हैं। वे हालीवुड में बड़े राइटर्स, स्टार्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के रूप में अपनी सबल उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। खेल-कूद, म्यूजिक इत्यादि में अमेरिका की खास पहचान उन्हीं से है। उद्योग-व्यापार, फिल्म-मीडिया और खेल-कूद-म्यूजिक ही नहीं, नॉलेज के क्षेत्र में भी वे समान रूप से अपनी उपस्थित दर्ज करा रहे है। उनके बीच का ही एक व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति तक बन चुका है।

उनके विपरीत दास-प्रथा से बदतर प्राचीन अछूत प्रथा के शिकार लोगों की वर्तमान पीढ़ी पर नजर दौड़ाने पर निराशा के सिवाय कुछ नहीं मिलता। वर्तमान में अपवाद रूप से ही कुछ दलित सप्लायर, डीलर, ठेकेदार, मैनुफैक्चरर्स इत्यादि के रूप में नजर आते हैं। फिल्म-मीडिया में भी अपवाद रूप में इक्के-दुक्के दलित नजर आते हैं। अवश्य ही डॉ.आंबेडकर के ऐतिहासिक प्रयासों से कुछ संख्यक अस्पृश्य सांसद, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ्रेसर, बाबू, चपरासी इत्यादि बनकर स्वतंत्र मनुष्य होने का भान कराने लगे। किन्तु गुलामों से भी बदतर अस्पृश्यों का डॉक्टर, इंजीयर, प्रोफ्रेसर इत्यादि बनना शक्ति के समस्त स्रोतों पर एकाधिकार जमाये उच्च वर्णीय लोगों को रास नहीं आया और वे आरक्षण को कागजों की शोभा बनाने की दिशा में अग्रसर ही नहीं हुए, बल्कि प्रायः पूरी तरह सफल हो चुके हैं। इससे अस्पृश्यों के अर्थोपार्जन का एकमात्र स्रोत सूख चूका है। एक अध्ययन के मुताबिक 54.71 प्रतिशत अस्पृश्यों के पास गज भर भी जमींन नहीं है और जिनके पास है भी तो इतनी नहीं है, जिससे परिवार का भरण-पोषण हो सके। व्यवसाय वाणिज्य के क्षेत्र में ये दुनिया की सबसे बहिष्कृत समुदाय हैं। जाति की अपवित्रता के कारण ये चाय-पकौड़े की दुकान तक भी नहीं खोल सकते। ऐसे में आज की तारीख में जो इनका भविष्य नजर आ रहा है, वह प्राचीन रोम और अमेरिका के गुलामों से भी बदतर दिख रहा है। इन्हें इस हालात से तभी उबारा जा सकता है, जब इन्हें धनार्जन के समस्त स्रोतों में वाजिब हिस्सेदारी मिले। लेकिन जहां भारत का शासक वर्ग इन्हें धनार्जन के समस्त स्त्रोतों से नए सिरे से बहिष्कृत करने में सर्वशक्ति लगा रहा है, वहीं इनके खुद के आन्दोलनकारी धनार्जन के समस्त स्रोतों में हिस्सेदारी की लड़ाई में कोई रूचि ही नहीं ले रहे हैं, वे अभी भी ब्राह्मणवाद विरोध और कागजों की शोभा बन चुके आरक्षण को बचाने में सारी ताकत लगा रहे हैं । ऐसे में यदि कहा जाय कि आने वाले दिनों में अस्पृश्यों की स्थिति प्राचीन रोम और आधुनिक अमेरिका के गुलामों से भी बदतर होने जा रही है, तो क्या गलत होगा?

- लेखक बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

***

भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश : सर्वे

लंदनः द थॉमसन रिव्यूर्स फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वे में भारत में महिलाओं को लेकर शर्मनाक खुलासा किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में भारत नंबर वन पर है। आतंकवाद से प्रभावित अफगानिस्तान और युद्धग्रस्त सीरिया क्रमशरू दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में पाकिस्तान नंबर 6 पर है, जबकि अमरीका दसवें नंबर पर। इस सर्वे में महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाले करीब 550 एक्सपर्ट्स शामिल हुए थे। इन्हें 193 देशों में महिलाओं के लिए बदतर देशों में टॉप 10 रैंक देने को कहा गया था। इससे पहले 2011 में कराए गए इस तरह के सर्वेक्षण में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में क्रमश अफगानिस्तान, कांगो, पाकिस्तान, भारत और सोमालिया थे। सर्वेक्षण में लोगों से पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से वे पांच देश कौन से हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक हैं और वे स्वास्थ्य, आर्थिक संसाधन, सांस्कृतिक या पारंपरिक परंपरा, यौन ड्क्षहसा और उत्पीडन, अलग तरह की हिंसा और मानव तस्करी के संदर्भ में बहुत खराब हैं।

महिला आयोग ने किया रिपोर्ट को खारिज

वहीं महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण का दायरा बहुत छोटा था और इसे पूरे देश के प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा, ''भारत में महिलाएं मुद्दों को लेकर अवगत है और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सर्वेक्षण में भारत को पहले स्थान पर रखा जाए। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिन देशों को भारत के बाद स्थान दिया गया है वहां महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर बोलने की इजाजत तक नहीं है। ये 6 देश टॉप पर रहने की ये हैं वजह।

भारतः सेक्युशल वॉयलेंस की घटनाएं बढ़ी हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार यहां रोजाना 100 से भी अधिक सेक्शुअल हैरासमेंट के केस दर्ज होते हैं। इसके अलावा कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और महिलाओं की बढ़ती तस्करी अन्य दो वजह हैं।

अफगानिस्तानः महिलाओं पर नॉन सेक्युशल वॉयलेंस, स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी और आर्थिक संसाधनों का अभाव।

सीरियाः सात साल के गृहयुद्ध के कारण महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हुई है। महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं तक कोई पहुंच नहीं।

सोमालिया : 1991 से यहां गृहयुद्ध चल रहा है। इससे महिलाएं अनसेफ फील करती हैं। ट्रेडिशनल कल्चर की वजह से भी महिलाएं परेशान।

सऊदी अरब : कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव। सांस्कृतिक व धार्मिक परम्पराओं के कारण महिलाएं अनसेफ।

पाकिस्तान : सांस्कृतिक और धार्मिक परम्पराओं, ऑनर किलिंग और घरेलू हिंसा के मामलों के कारण वहां महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए उसे छठे स्थान पर रखा गया है।

https://www.punjabkesari.in/national/news/survey-india-the-most-dangerous-country-for-women-825908

Out of 94 posts of Secretary in the Government of India only 1 is from SC, Out of 341 posts of Joint Secretaris, only 17 are from SC

7th June, 2018, The order of Supreme Court has cleared the passage for implementation of Reservation in Promotion. All the SC/STs across India are grateful to the Hon'ble judges for the same. It is very disheartening to know that from time to time a large number of incidents keep on happening with the SC and ST. It is evident that every other day the atrocities against the Dalits are increasing. The judgement of Supreme Court on 20th March on the Prevention of Atrocities Act, made the act very weak. Before this judgement the roster for recruiting of teachers and professors in Universities was changed because of which now instead of the University, a Department will be considered a unit and reservation will be provided accordingly. Due to this the recruiting of Dalit and the Backwards will be reduced drastically. In 2006, the Supreme Court in the matter of Nagraj, approved the reservation in promotion but still the lower benches of Supreme Court made various hurdles for it's implementation. Then Dr. Udit Raj has decided to write a comprehensive letter addressing the Prime Minister Shri Narendra Modi to amend the constitution suitably so that all these discrepencies are done away with.

With grief Dr. Udit Raj said that for implementation of Reservation, no law has been made. The UPA government introduced a bill in the Rajya Sabha, but could not be passed in the account of some shortcomings and the same was withdrawn with the promise that it would be reintroduced by doing away with anomalies but it never saw the light of the day. Laws have been made on petty issues like Preservation of Bio-diversity, Cleanliness and others but for reservation there is no law. Reservation has been implemented on the basis of executive orders which has created an environment of confusion and discrepancies. The junior officers in various ministries keep on issuing orders after orders on Reservation and they also have been appealing to the government for making a "law" for Reservation.

Dr. Udit Raj also said that it is due to the efforts and struggle of the All India Confederation of SC/ST Organizations that the Vajpayee government made the 81st, 82nd and 85th Amendment in Constitution of India. Unfortunately the 85th amendment was challenged in the Supreme Court where a bench of 5 judges proposed 3 conditions which are not justified:

1. For reservation in Promotion the backwardness of the SC/ST applicants should be checked. The SC/STs have been kept under article 341 and 342 because of their backwardness only. In these articles only those caste are kept which are backward and at times of recruiting for Government Jobs this is the basis for recruitment, then why is there a different basis for reservation in promotion? Be it direct employment or in Promotion the basis should be the same.

2. In the second condition the Supreme court said that due to improper implementation of Reservation there has been a paucity of participation of the SC/STs in the higher strata. As per the Government of India and various Ministries the presence of SC/ST/OBC as on 1 January 2016 out of total 84,705 in Group A, SC-11,333, ST-5,013, OBC – 11,016 and in Group B out of total 2,90,941, SC are 46,625, ST are 20,915 and OBC are 42,995. In terms of percentage in group A the participation of SC is just 13.4%, ST is 6% and OBC is 13% whereas in Group B, SCs are 16%, STs are 7% and OBCs are 14.77%. As per the latest information available there are only 1 SC and 3 ST at Secretary Level, 3 SC and ST each at Additional Secretary level and 17 SC and 9 ST at the Joint Secretary Level.

3. As far as the effectiveness in administration is considered, it has not been proved till now that due to reservation the efficiency has been hampered. Professor Ashwani Desh Pandey from Delhi University under her study on the Railway Department also found that where the presence of SC/ST was higher the productivity of that department was improved. In this study the professor from Michigan University has also been a major contributor. In another study on MNREGA, the largest employment generation scheme, Mr Alexander Lee and Bhawnani established in their studies that the performance of IAS officers from SC/ST category implementing the Scheme was better than the general category IAS officers.

These 3 conditions imposed by the Supreme Court are baseless, and it is high time that the Parliament introduces a bill for reservation in promotion and do away with all anomalies and discrepancies. Another proposal is that a bench higher than the Nagraj Bench in Supreme Court is made and remove the above obstacles. For now the judgement of Supreme Court has cleared the way for implementation of reservation in promotion. The right to make law is with the Parliament and not the Supreme Court. When none of the Political Parties oppose reservation, then why so many obstacles are created for it?

***

Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes at Secretary / Additional Secretary and Joint Secretary level in Central Government

	Total	General	SC	ST
Secy	94	90	1	3
AS	107	101	3	3
JS	341	315	17	9

SC/ST/OBC REPORT-I
Date of Report- 07/06/2018 :: 11:41:AM

Ministry/Department/Attached/Subordinate Office: All

Groups	Representation of SCs/STs/OBCs (As On 1/1/2016) Total Employee	SCs	STs	OBCs	Others
A	84705	11333	5013	11016	57343
B	290941	46625	20915	42995	180406
C(Excluding Safai Karmchari)	2834066	489820	246780	641930	1455616
C(Safai Karmchari)	48951	22108	3379	7076	16388
Total	3258663	569886	276007	703017	1709753

पृष्ठ का 1 शेष

भारत सरकार में सचिव के लगभग 94 पदों पर केवल .....

पिछड़ी हुई हैं।

2. नागराज मामले की दूसरी शर्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सच को कौन इनकार कर सकता है कि आरक्षण न पूरा होने की वजह से प्रतिनिधित्व की हमेशा से कमी रही है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी की उपस्थिति 1 जनवरी 2016 में ग्रुप ए में 84705 में से अनुसूचित जाति (11,333), जनजाति (5,013), पिछड़ा वर्ग (11,016) और ग्रुप बी में 290941 में अनुसूचित जाति (46,625), जनजाति (20,915), पिछड़ा वर्ग (42,995) हैं। अगर ग्रुप ए का प्रतिशत निकाला जाये तो दलित 13 प्रतिशत जनजातिय 6 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति का आरक्षण में 15 प्रतिशत जनजातिय का 7.5 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग में 27प्रतिशत, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं कनिष्ठ सचिव में तो स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार में सचिव के लगभग 94 पदों पर केवल 1 एससी एवं संयुक्त सचिव के 341 पदों में केवल 17 एससी पद ही आरक्षित है।

3. जहाँ तक प्रशासन में प्रतिकूल असर पड़ने का मामला है अब तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि आरक्षण से प्रशासनिक क्षमता में कमी आयी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्वनी देशपाण्डेय ने रेलवे विभाग का एक अध्ययन किया और पाया कि प्रशासनिक क्षमता में कोई असर नहीं पड़ा बल्कि जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति ज्यादा थे वहां उत्पादन बढ़ा ही है। इस अध्ययन में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का भी सहयोग रहा है। वहीँ दूसरे अध्ययन में अलेक्सेंडर ली और भवनानी ने अध्ययन किया कि दुनिया में मनरेगा, जो रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी योजना है लागू करने वाले आईएएस अधिकारी की प्रशासनिक क्षमता कैसी रही, अध्ययन ने स्पष्ट किया कि दलित और पिछड़े वर्ग के आईएएस अफसर का सामान्य वर्ग की तुलना में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगायी गयी तीनों शर्तों का कोई आधार नहीं है इन परिस्थितियों में संसद विधेयक पास करे और बिना अड़चन के पदोन्नति में आरक्षण मिले। दूसरा यह भी विकल्प है कि नागराज से बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बने और इन अनियमिताओं को दूर करे। परसों के सुप्रीम कोर्ट के इस सम्बन्ध में दिए गए निर्णय से फिलहाल पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है न कि उच्च न्यायपालिका को। कोई भी राजनैतिक दल आरक्षण का विरोध नही करते फिर भी बार–बार अड़चन आने का क्या मतलब है।

***

Page 8 Content

Regional Conference of .....

position that I can give a ticket to a municipal corporation councilor. So how can I empower my society? If a person of a Dalit community is also made the Prime Minister and if he is not sensible then in the trap of other he might harm the society while doing good for it. Reservation in the promotion in Uttar Pradesh ended at the time when Mayawati ji was the Chief Minister. Scheduled Castes / Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, 1989 was almost abolished in 2007, then also Mayawati Ji was the Chief Minister of the state. At that time a circular was issued that this act would only be applicable in the case of murder or rape, and not in case of any other crime. At that time 17 types of crimes were included in this act, whereas today 22 types of crimes are included. Advocate Pradeep Verma filed a petition on behalf of Allahabad High Court and the High Court clarified that is a law made by the Central Government and the State Government cannot make any changes in it. It is after this that this act was saved. He said that today the judiciary is striking more on our rights more than the governments. There is a need to create a movement against this action. One day or the other they are releasing anti-reservation orders. Unless there is a reservation in the Higher Judiciary, our rights are safe. The judiciary alone is responsible for the incident on 2nd April'18. There is no merit in this country to become a judge, while they keep judging the merits of others.

Delegates from Different States in Conference

He emphasized the usefulness of the social media and said that today this is biggest weapon. You can exchange views without any expenditure. If the electronic channels or print media do not give heed to your news then you can spread it to any level sitting in the house through the social media. All the attendees were given training of Twitter and Facebook.

Apart from the delegates from various regions like Satya Prakash Jaraavat (Haryana), R.K. Kalsotra (Jammu and Kashmir), Sushil Kamal and Neeraj Chak (UP), Tarsem Singh Gharu and Rohit Sonkar (Punjab), Babu Singh and Vijay Raj (Uttarakhand), Vikasdeep (H.P.) etc., hundreds of other delegates participated in the meeting.

The core committee of Delhi state was a special contributor in amking the conference successful, in which Om Prakash Singh, Devi Singh Rana, Satyanarayan, Ravindra Kataria, Mahendra Singh Cheem, Fakir Chand Kazania, Manoj Kumar, Mangheram, Sudhir Kumar, Prakash Mahla, Gaje Singh , Karan Chand, Fakirchand, Dayanand, Satya Prakash, Jagdish Malik, R.S. Hans, Ramnath, Ashok, Ashok Ahlawat, Satbir, Ghisaram, Suresh Kumar Sen, Khemchand Sachin Kumar, Sanjeev Gautam were the chiefs.

The meetings and conferences to be held in the near future by the representatives of the various districts present in the conference were announced. Among those who have announced the meeting, the main ones are - Manjeet (Kanpur), Jai Prakash (Auraiya), Premjeet (Meerut), Jia Lal (Faizabad), Raj Kumar (Muzaffar Nagar), Naresh Raj (Hardoi), Rajkumar Guddu (Sitapur), B. S. Deepak (Ghaziabad), Kalpendra Bharti (Mainpuri), Somnath Saroj (Allahabad), Mahabir (Bijnor), Ramendra Chandra (Bulandshahr), Kedarnath (Muradabad), Rajkumar (Bareilly), Anil (Etawah), Vishwanath (Faridabad), Ramphal (Palwal), Mahasingh Bhuraniya and Vazir Singh Mehra (Jind), Rajendra Prasad and Ravi Mahendra (Rohtak), Neta Kanwar Singh (Narnaul), Satyawan Bhatia (Sonepat), Shashikant and Bijli Singh (Panipat), Rampal (Kurukshetra), Rajkumar (Kaithal), Arjun Dev (Hisar), Tarsem Singh from Punjab (Jalandhar), V.K. Baudh (Ludhiana), Gurupreet Singh (Patiala), R.K. from Jammu and Kashmir Kalsothra (Srinagar), MO Ali Zinha (Kargil), H.P. From Vijay (Kangra), Vikas Deep (Shimla), from Uttarakhand to Babu Singh (Dehradun), Modal Tegwal and Meher Singh (Haridwar), R.K. Bharti (Udham Singh Nagar), Mahavir (post stone), Vikram Singh (Tehri Garhwal), BS. Tamta (Pauri Garhwal) etc.

The food was arranged for everyone at the end, after which the conference was over.

***

India is World's Most Dangerous Country for Women, US 3rd: Survey

India is the world's most dangerous country for women due to the high risk of sexual violence and being forced into slave labour, according to a poll of global experts released on 26 June. War-torn Afghanistan and Syria ranked second and third in the Thomson Reuters Foundation survey of about 550 experts on women's issues, followed by Somalia and Saudi Arabia. The only Western nation in the top 10 was the United States, which ranked joint third when respondents were asked where women were most at risk of sexual violence, harassment and being coerced into sex.

The poll was a repeat of a survey in 2011 that found experts saw Afghanistan, Democratic Republic of Congo, Pakistan, India, and Somalia as the most dangerous countries for women. Experts said India moving to the top of poll showed not enough was being done to tackle the danger women faced, more than five years after the rape and murder of a student on a bus in Delhi made violence against women a national priority.

Government data shows reported cases of crime against women rose by 83 percent between 2007 and 2016, when there were four cases of rape reported every hour. The survey asked respondents which five of the 193 United Nations member states they thought were most dangerous for women and which country was worst in terms of healthcare, economic resources, cultural or traditional practices, sexual violence and harassment, non-sexual violence and human trafficking. India's Ministry of Women and Child Development declined to comment on the survey results.

Afghanistan

Afghanistan fared worst in four of the seven questions, with concerns over healthcare and conflict-related violence. Kimberly Otis, director of advancement at Women for Afghan Women, said women and girls faced severe gender-based violence, abuse, illiteracy, poverty, and other human rights offences. Afghanistan's Public Health Minister Ferozuddin Feroz said the deteriorating security situation was making life difficult for women, with large parts of the country still in the control of Taliban fighters after nearly 17 years of war. "Nowadays, suicide bombings and armed conflict is the third (highest) cause of deaths and disability in Afghanistan," he told the Thomson Reuters Foundation in an interview in London. "Instead of focusing (spending) on maternal health, on nutritional status, we spend it on trauma," he added.

Syria

The impact of a seven-year war drove Syria into third place in the survey, amid concerns over access to healthcare and both sexual and non-sexual violence. "There are so many dangers for girls and women," said Maria Al Abdeh, executive director of Women Now For Development, which supports women's centres in Syria. "There is sexual violence by government forces. Domestic violence and child marriage are increasing and more women are dying in childbirth. The tragedy is nowhere near an end."

Somalia

Somalia, where more than two decades of war has fuelled a culture of violence and weakened institutions meant to uphold the law, was again named as one of the five most dangerous countries for women.

Saudi Arabia

Saudi Arabia ranked fifth, with women's rights experts saying there had been some progress in recent years, but the recent arrests of female activists ahead of the lifting of a ban on women driving showed much more needed to be done. "We need to completely obliterate this system. I think change is coming, but it takes time," she adds.

#MeToo Puts US On List

Experts said the surprise addition of the United States in the top 10 most dangerous countries for women came down to the #MeToo and Time's Up campaigns against sexual harassment and violence that have dominated headlines for months. "People want to think income means you're protected from misogyny, and sadly that's not the case," said Cindy Southworth, executive vice president of the Washington-based National Network to End Domestic Violence. Rounding out the top 10 most dangerous countries for women were Pakistan, Democratic Republic of Congo, Yemen and Nigeria.

India, Libya and Myanmar were considered the world's most dangerous nations for women exploited by human traffickers in a global crime worth an estimated $150 billion a year. "In many countries the simple fact of being female creates a heightened risk of becoming a victim of slavery," said Nick Grono, chief executive of the Freedom Fund, the first private donor fund dedicated to ending slavery. The poll of 548 people was conducted online, by phone and in person between 26 March and 4 May, with an even spread across Europe, Africa, the Americas, South East Asia, South Asia and the Pacific. Respondents included aid professionals, academics, healthcare staff, non-government organisation workers, policy-makers, development specialists and social commentators.

https://www.thequint.com/news/world/india-most-dangerous-country-for-women-us-third-survey

***

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 15 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 30 June , 2018

Regional Conference of Confederation

On 2 April, the martyrs of Bharat Bandh Movement were paid homage

Today the meeting of All India Confederation f SC/ST Organization (Parisangh) was held at the Constitution Club of India, Rafi Marg, New Delhi under the leadership of Dr. Udit Raj. The meeting observed the participation of delegates form Uttarkhand, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi. The meeting atarted at 10 AM and by 12 noon the hall was fully occupied with people standing and sitting on the floor to participate in the meeting. A tribute was given to the martyrs of the Bharat Bandh Movement on 2nd Spril'18. Dr. Udit Raj said that out of 10 people killed, 8 were killed by the upper caste and not by the police. There has been no such incident till date, where such incident has happened. When the Jaats and Patels did the agitation, did the Dalits came up with sticks to beat them ? Here the main issue was that, how dare the dalits came up for agitation? The federations are endeavouring to get justice for ten people who have been killed in this movement. This Parisangh came into existence 20 year back and since then it has and in future also it will remain a non-political organization. The major strength of this organization are the Employee-Officers and the social workers. The Confederation was formed in 1997 under the leadership of Udita Raj to cancel five anti-reservation orders. due to their constant struggle the 81st, 82nd and 85th constitutional amendment were made. Since then the expectations of Dalits in the country has remained with this organization. In 2006, the Supreme Court lobbied in the case of Nagraj and saved the 85th constitutional amendment, which was related to reservation in promotion. On November 4, 2001, Dr. Udit Raj himself and with millions of people adopted Buddhism to for the establishment of a casteless society.

The people at the conference were informed that the recommendation of the Ordinance sent to the Center regarding the reservation in the promotion by the Karnataka Government has been assented after it's signing by the Honorable President of India. Thanks to H.E. The President for this. Due to efforts of Dr. Udit Raj the Ministry of Law and Home expedited it and for that we all thank the Hon'ble Minister, Shri Ravishankar Prasad Ji and Shri Rajnath Singh Ji.

The conference was organized on the following issues : -

1. Supreme court judgement dated 20th March'18 with regard to Prevention of Atrocities Act, 1989 has proved deleterious to the interest of SC/STs in the country.

2. The guideline issued by UGC dated 5th March'18 is detrimental to the interest of SC/ST/OBC. According to this, not the University but the department will be taken as a unit to apply reservation policy. About four thousand adhoc teachers are working in Delhi University and if this circular is applied most of the SC/ST and OBC will be thrown out

3. On 2nd April'18 a call was given by mainly SC/ST to make the "Bharat Bandh". Ten Dalits were killed and unfortunately mostly by the so called upper caste thousands of SC/ST were either arrested or false cases were slapped against them

4. Ten posts of Joint Secretary are going to be filled by people from private institutions which is violating the Reservation Policy. It is demanded that reservation of SC/ST and OBC is applied.

5. It is disheartening to know the perpetual rise in atrocities against Dalits and today a news has come from Mehsana, Gujarat that when a Dalit wore a shoe similar to that of a Thakur, he was beaten up for daring to become equal to the Thakurs

6. The Bhim Army leader is languishing in jail and he should be released immediately

7. The amount of scholarship provided to the SC/ST students should be increased.

Addressing the conference, Dr. Udit Raj Ji said that our people in the society need to be together for our rights. Many people blame the politicians and they themselves do not want to do anything. He said that, people say that Udit Raj has reached the Parliament with the strength of society and he does not work for the society. Correcting the allegation he made it clear that people should not expect anything like above from a MP or MLA from any party because they are made MP or MLA by the grace of the political party and not by the people of the community. When the elctions are not for the rights of Dalits, then we should not expect such from them. Once between a discussions among people of the general category, it was revealed that you do not want to empower your society deliberately. Then I said that the party I belong to, has not given the

on Dias with Dr Udit Raj left side Devsi Singh Rana, Satyprakash Jarawta, R.K. Kalsotra, Omprakash Singhmar, Neeraj Chak, Tarsem Singh Gharu, Rohit Sonkar, Kaliram Tomar, Satbir Pecharwal

Content on 7 Page

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar